न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 113/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

रामदेव यादव वगैरह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

बालेश्वर महतो वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

14-10-24

अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर अधोहस्ताक्षरी के अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 16.08.2024 की प्रभावी तिथि से भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया एवं उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- पुरनानगर, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह
(1) खाता नं0- 34, प्लॉट नं0- 401, रकबा- 1.11 एकड़
चौहद्दी : उ0- उगर भोक्ता, द0- उगर भोक्ता, पू0- रास्ता, प0- निज
(2) खाता नं0- 34, प्लॉट नं0- 402, रकबा- 78 डी0
चौहद्दी : उ0- उगर भोक्ता, द0- निज, पू0- निज, प0- निज
(3) खाता नं0- 34, प्लॉट नं0- 437, रकबा- 26.5 डी0
चौहद्दी : उ0- टांड़ निज, द0- जीवा हजाम, पू0- उगर भोक्ता, प0- चमन हजाम
(4) खाता नं0- 34, प्लॉट नं0- 473, रकबा- 35.5 डी0

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष का कहना है कि विवादग्रस्त भूमि उनके पूर्वजों को विभिन्न केवाला दस्तावेज द्वारा हासिल है। प्रथम पक्ष आगे यह भी बताते है कि विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी पंजी-II भाग सं0- 05 के पृष्ठ सं0- 25 तथा पृष्ठ सं0- 32 पर कायम है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण जबरन कब्जा करने के नीयत से जब ट्रेन्च काटने लगे तब विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष आगे दाखिल

कारण पृच्छा में कहते है कि अंचल अधिकारी बिरनी द्वारा विविध वाद सं0- 02/2023-24 में आदेश पारित कर कहा गया है कि विवादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है वाद के निपटारे हेतु प्रभावित पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष दोनों ने एक ही विक्रेता मोसमात यशोदा देवी से जमीन खरीदा है। प्रथम पक्ष ने इस संबंध में सक्षम न्यायालय में O.S. 189/24 दायर किया है अत: यह मामला इस न्यायालय में खारिज कर दिया जाना चाहिए। प्रथम पक्ष दस्तावेज सूची के साथ अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल करते है :-

1) Partition suit 22/1940 में पारित आदेश की छायाप्रति;
2) अंचल अधिकारी बिरनी द्वारा विविध वाद 02/2023-24 में पारित आदेश की छायाप्रति;
3) बिरनी अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति;
4) केवाला दस्तावेज 3282 की छायाप्रति;
5) एक ऑफलाइन राजस्व रसीद की छायाप्रति;
6) केवाला दस्तोवज 2515 की छायाप्रति;
7) तीन ऑफलाइन राजस्व रसीद की छायाप्रति;
8) एक अन्य केवाला दस्तावेज की छायाप्रति;
9) दो ऑफलाइन राजस्व रसीद की छायाप्रति;

प्रथम पक्ष भा0ना0सु0सं0 की धारा 223 के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन के संबंध में भी एक आवेदन दाखिल करते है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाते हैं कि दो केवाला दस्तावेज द्वारा उनके पूर्वजों को विवादग्रस्त भूमि हासिल है तथा प्रथम पक्ष जालसाजी कर तथा जाली वंशावली बनाकर उक्त खाता प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में दो केवाला दस्तावेज की छायाप्रति तथा तीन लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते है। द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0- 01 से 12, कारण पृच्छा दाखिल कर अग्रेत्तर बयान करते है कि वादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है खतियान रूपु पाण्डेय तथा ईश्वर पांडे के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष को खतियानी रैयत के वंशज से विवादग्रस्त भूमि खरिदगी हासिल है। द्वितीय पक्ष क्रम सं0- 13 के पक्षकार भी अलग से कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाते है कि उन्हें भी खतियानी रैयत ईश्वर पाण्डेय के वंशज लटु पाण्डेय के द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि हासिल है।

अंचल अधिकारी बिरनी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार "विवादग्रस्त भूमि में अंर्तनिहित प्लॉट सं0- 401, 402 एवं 437 में क्रमश: बिक्री की गई रकबा का मिलान खतियानी रकबा से करने पर पाया कि

प्लॉट में क्रमशः 71.5 डी0, 39.5 डी0 वो 17 डी0 खतियानी रकबा से अधिक बिक्री की गई है जो विवाद का मूल कारण है।''

दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन, अंचल अधिकारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अध्ययन तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि वादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है उभय पक्ष ने रैयती खतियानधारी के अलग अलग वंशजों से जमीन की खरीद की है। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि भूमि का खतियानी रकबा से अधिक बिक्री किया जाना विवाद का मुख्य वजह है। उक्त विसंगति का संबंध प्रत्यक्ष रूप से बिक्री केवाला कारित करने से है अर्थात संपूर्ण विवाद में स्वत्व (Title) का तत्व अंर्तनिहित है। वस्तुतः यह खतियानी रैयत के वंशजों से खरीदे भूमि के आधार पर उत्पन्न हुई स्वत्व का विवाद है जिसका निराकरण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उभय पक्ष को वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश किसी पक्षकार के हित में या विरूद्ध पारित करना न्यायोचित नही है अतः भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई को बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

14-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

14-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.11 16:20:22 +05:30
Location: 192.168.1.2